

नल पदापदा १२५ २५-८-२२ का पत्र है।

25-8-22 पत्रावली पेश करील साथ उपर / करील
न

फर्द अहकाम

हुकम	हुकम या कार्यवाही नया इनिशियलज जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------	-----------------------------------	--

तार्थी द्वारा बटल की गई। दौरान बटल
 तार्थी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त
 भूमि के सम्बन्ध रिपोर्ट में तार्थी का नाम
 संयुक्त से इलीप सिंह दर्ज हो गया है
 उनके तार्थी ने मध्य सम्बन्ध दस्तावेजों
 में तार्थी का नाम इलीप कुमार दर्ज है।
 इसलिए वादग्रस्त रिपोर्ट में उक्तानुसार
 दुबली करते हुए तार्थी का नाम इलीप सिंह
 के स्थान पर इलीप कुमार किया जावे।
 तस्वीरदार द्वारा तस्वीर रिपोर्ट में उक्त
 का तार्थीना पत्र के तथ्यों का विरोधाभास
 गयी किया गया है एवं वादी ने कोई त्वरण
 संकलन किया गया है। ऐसे स्थिति में तार्थी
 का तार्थीना पत्र स्वीकार किया जाता
 व्यथेच्छित स्वीकृत होता है।

अतः तार्थी का तार्थीना पत्र स्वीकार
 करते हुए वादग्रस्त भूमि तस्वीर धर.सा.ता
 के नंबर 2 KW 3M के प.नं. 173/21 के निवा
 जं. 1 ता 10 एवं प.नं. 173/29 के निवा जं.
 1 ता 10 की कुल 5.060 हेक्टेयर हूबि भूमि
 के सम्बन्ध रिपोर्ट में जो तार्थी इलीप सिंह
 पुत्र सोहनलाल के नाम दर्ज है, को दुबली
 करते हुए इलीप सिंह के स्थान पर इलीप कुमार
 दर्ज करने का आदेश दिया जाता है एवं

तस्वीबद्वार खड.भाना को आदेशित किया
जवा है कि राजस्व रिपोर्ट में इसी
अनुसार अम्ब इराफ़ मरे। पत्रावली का
तस्वीब तस्वीब होना हरिषिव दफ़्तरे।

यह आदेश आज दिनांक 25⁰⁸/₂₂
को सेरे द्वारा जुबे न्यायालय में विख्या
जवा सुनाया गया।



अग्निवाषा

(R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना